राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :— 224/2025

सोहन स्वरूप शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जालोर, राजस्थान।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र चौधरी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधिशाषी अभियन्ता (मेकेनिकल) के पद पर ग्रा.वि. योजना (अभियांत्रिकी), जालौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से अधिशाषी अभियन्ता, मनरेगा, जि.प. जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 30.10.2026 को सेवानिवृत्त होगा। ऐसे में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम समय शेष है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में जालोर जिले में कार्यरत है। सरकार की नीति रही है कि पति—पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासम्भव एक ही स्थान पर अथवा आस—पास पदस्थापित रखा जावे, परन्तु अपीलार्थी का

स्थानांतरण उक्त नीति के विरूद्ध जाकर किया गया है। अपीलार्थी के दूरस्थ स्थानांतरण से अपीलार्थी को विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पडेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)